मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक.6263/एनआर–4/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 22/06/10

प्रति,

अत्यंत महत्वपूर्ण समय–सीमा

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
जिला समस्त

विषय :– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, केन्द्र पोषित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम एवं बेकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के अभिसरण से बनने वाली बारहमासी ग्रामीण सड़कों ग्रामीण संपर्क सड़क योजना हेतु वित्त एवं लेखा व्यवस्था संबंधी निर्देशों का पालन।

संदर्भ :– म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 3630/NREGS-MP/NR-4/2010 दिनांक 14/04/2010

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा अन्य बिन्दुओं के साथ विषयांकित मदों में आपको प्राप्त होने वाली राशि को निर्धारित वर्क आईडी में जमा कराने के निर्देश दिये गये थे। अधतन स्थिति तक आपको नरेगा निर्माण मद, नरेगा प्रशासनिक मद, एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मद हेतु राशि प्रदाय की गई है। इन सब से आप भलीभांति अवगत हैं।

प्राप्त राशि को संदर्भित पत्र के अनुसार कोषालय में निर्धारित वर्क आईडी में जमा कराया जाना था। कृपया इस संबंध में दिनांक 30/06/2010 तक आपके अधीक्षण यंत्री के माध्यम से मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा विध्याचल भवन भोपाल के साथ–साथ इस कार्यालय को भी प्रमाण–पत्र देवें कि आपके द्वारा शासन निर्देशों के पालन में तदानुसार कार्यवाही की गई है।

शासन स्तर पर ग्रामीण संपर्क सड़क योजना की नियमित सूक्ष्म समीक्षा की जाती है ताकि ग्रामीण ग्रामीण संपर्क सड़क योजना के क्रियांवयन में न तो किसी प्रकार की बांधा हो न ही किसी प्रकार की विसंगतियां।

अतः कृपया ध्यान दें कि यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे गये प्रमाण–पत्र समय–सीमा में हार्ड कापी एवं ईमेल दानों से ही उपलब्ध करावें।

Email: jcfinance_nreg@rediffmail.com
ceresbpl@rediffmail.com

संलग्न प्रमाण–पत्र का प्रारूप

R. Saxena 22.6.10

(डॉ. राजीव सक्सेना)
संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
मुख्यालय, भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

पृ.क्र. 6264/वित्त एवं लेखा/एनआर–4/NREGS-M.P/2010 भोपाल, दिनांक 22/06/10

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त कोष एवं लेखा पर्यावास भवन म.प्र. भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि संदर्भित शासन के पत्र छायाप्रति संलग्न के अनुसार कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवाओं को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु सभी कोषालय अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विध्याचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ कृपया आप भी इस संबंध में कार्यवाही तत्काल ही सुनिश्चित करें। कृपया चाहे गये प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उपलब्ध करावें।
4. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा समस्त संभाग की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्यपालन यंत्रियों को प्रदाय की गई राशि निर्धारित वर्क आईडी में जमा कराने हेतु समय–समय पर दूरभाष पर भी अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सूचना दी गई है। अब इस संबध में उपरोक्तानुसार तत्काल जानकारी उपलब्ध करावें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इस संबंध में शासन स्तर पर समीक्षा होती है।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त की ओर सूचनार्थ।

R. Saxena 22.6.10

(डॉ. राजीव सक्सेना)
संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
मुख्यालय, भोपाल

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 3630/NREGS-MP/NR-4/2010 दिनांक 14/04/2010 का पालन करते हुये प्राप्त राशियां निर्धारित वर्क आई डी में जमा करायी गई है।

हस्ताक्षर
कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
जिला/संभाग